

फार्म - सोलह

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-38 के उप नियम-(5) व (6) देखें]
ट्रान्सपोर्टर, कैरियर, फॉरवर्डिंग एजेंट, रेलवे कंटेनर कॉट्ट्रेक्टर, गोदाम / कोल्ड स्टोरेज
अथवा वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र

आवेदक
का पासपोर्ट
साईज
का फोटो

पुस्तक संख्या-----

क्रम संख्या-----

सर्वश्री-----जिनका
मुख्य व्यापार स्थल ----- पर स्थित है एवं वाणिज्य
कर विभाग सर्किल / खण्ड ----- के अधिकार क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश वैट अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत आते हैं, को
व्यापारी के रूप में पंजीकृत किया जाता है तथा पंजीयन संख्या के रूप में आवंटित किया जाता है।
यह पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक----- से व्यापार बन्द होने तक प्रभावी रहेगा।

क्र०सं०	विवरण	विवरण की विस्तृत सूचना	
1.	व्यापार का प्रकार		
2.	उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाहर ब्रांच / गोदाम	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		10.	
		--	

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
पंजीकरण प्राधिकारी का
नाम व पदनाम
मुहर